



2026:AHC-LKO:39998

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 3892 वर्ष 2026

मुख्तार अली और 2 अन्य

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से

..... विरोधी पक्षकार(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सीमा कश्यप

विरोधी पक्षकार(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 12

माननीय न्यायमूर्ति जफीर अहमद

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह उन आवेदकों की ओर से दायर किया गया प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है जो उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 2(ख)(17)/3 के तहत अपराध संख्या 170/2026, पुलिस स्टेशन गोला, जिला खीरी में शामिल है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदकों पर लगाए गए आरोप झूठे और निराधार हैं।

विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदकों के खिलाफ गिरोह चार्ट में एक मामला दर्ज है जिसमें

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। जमानत का आदेश जमानत आवेदन के अनुलग्नक 3 के रूप में संलग्न है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि सह-आरोपी सूरज गिरी को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3770/2026 में दिनांक 26.05.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवेदकों की भूमिका सह-आरोपी अंसार अली और आसफाक अली के समान है जिन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदकगण उक्त सह-आरोपियों के समान न्याय पाने के पात्र हैं। आवेदकों के अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता 29.04.2026 से जेल में हैं और गिराव संबंधी मामलों में दर्ज मामलों के अलावा उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि यदि आवेदकों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

4. यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदक उत्तर प्रदेश गिरावबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4)(ख) की आवश्यकता के अनुसार वचन देने के लिए तैयार है। यह भी निवेदन किया है कि आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान भूमिका निभाने वाले सह-आरोपियों को इस न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सह-आरोपी, जिनकी भूमिका आवेदकों के समान है, को जमानत दी जा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

चुकी है, आवेदक 29.4.2026 से जेल में बंद हैं, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाता हूं।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

8. अपराध संख्या 170/2026, धारा 2(ख)(17)/3 उ० प्र० गिरोहबंद तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, के तहत, गोला पुलिस स्टेशन, जिला खेरी में आरोपी मुख्तार अली, जाकिर अली और बाबू को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के निजी मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए, जो न्याय के हित में लगाई जा रही हैं:-

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव नहीं डालेगा/ उसे डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iv) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन होने पर, अधीनस्थ न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो अधीनस्थ न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय नागरिक संहिता की धारा 209 के तहत विधिवत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान जमानत आवेदन तक ही सीमित हैं और मुकदमे की गुण-दोष पर इनका कोई असर नहीं पड़ेगा।

जून 2, 2026

कन्हैया

(न्यायमूर्ति जफ़ीर अहमद)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।